IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

तृतीय लिंग समुदाय : कानून के साथ सामाजिक स्वीकृति भी महत्वपूर्ण

1. प्रीती राजौरिया

शोधार्थी–राजनीति विज्ञान, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

2. डॉ. आभा वाजपेयी

प्रो. राजनीति विज्ञान संकाय

डॉ. भगवत सहाय महाविद्यालय ग्वालियर

मानव अधिकार प्रजातंत्र के वो आधार भूत स्तम्भ हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, परन्तु संविधान में मानवाधिकारों को कानूनी रूप देने की आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि कहीं न कहीं पूर्व में इनका हनन हुआ इसलिये इनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। मानवाधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिकों के लिये है जिससे उनका सम्पूर्ण विकास हो सके।

पर अब बात आती है कि क्या सच में यह प्रत्येक नागरिकों के लिये है ?

हमारे देश का ही एक भाग किन्नर समाज आज भी उन सभी मानव अधिकारों का उपभोग नहीं कर पा रहा जो मानव अधिकार देश के नागरिकों के लिये संविधान में वर्णित हैं, चूंकि किन्नर समाज भी इसी देश का हिस्सा है तब देश का नागरिक होने के साथ ही यह

सभी अधिकार स्वतः ही उन्हें भी प्राप्त होने चाहिये। परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। मानव अधिकार का उपभोग तो दूर की बात है, प्राथमिक, मूलभूत अधिकार व प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग भी वह ठीक से नहीं कर पाते इसकी दो खास वजह हैं, एक तो वह खूद भी अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं और दूसरा यह कि हमारे सभ्य समाज ने ही परम्परा के नाम पर ही इन्हें समाज से बहिष्कृत किया हुआ है।

यदि मानव अधिकार राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों के लिये हैं तो किन्नर समाज के लिये भी होना चाहिये और यदि किन्नर समाज इन मानव अधिकारों का उपभोज नहीं कर पा रहे हैं या उनके लिये नहीं है तो क्या वह इस देश के नागरिकों की श्रेणी में नहीं आते।

अब यह बात आती है कि इनके अधिकारों का हनन किसने और क्यों किया ? राज्य ने तो प्रत्येक व्यक्ति को समान रुप से मानव अधिकार प्रदान किये हैं फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश का हो, राज्य के लिये समान हैं, तब इनमें विभेद करने वाले हमारा सभ्य समाज ही है। अब यह बात अधिकारों के साथ–साथ मानसिकता की भी है। मानव अधिकारों का स्पष्टीकरण करते हुये कानूनी तौर पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले अप्रैल 2014 को तृतीय लिंग का दर्जा दिया एवं उनकों समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु कुछ प्रावधान किये एवं इस विधेयक में जो भी कमियां रह गई थी या जिन पहलुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था उन सभी पक्षों को व कुछ मामलों को संशोधित करके उनके लिये केन्द्रीय केबिनेट ने बाद में जुलाई 2016 को ट्रांसजेडर पर्सन्स Protection of Rights Bill 2016 को मंजूरी दी। इस बिल के अन्तर्गत किन्नरों की सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में आजादी से जीने का अधिकार प्राप्त हुआ, परन्तु अब सवाल यह उठता है कि इस सब के बावजूद क्या लोगों का किन्नरों के प्रति मानसिकता में बदलाव होगा ? क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ कानूनी दर्जा प्राप्त करने या कागजों के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि समाज में सामान्य व्यक्ति की तरह समान दर्जा और सम्मान प्राप्त करने का है।

समाज इन्हें भले ही सामान्य व्यक्ति से भिन्न समझकर इनका तिरस्कार करे, परन्तु समय–समय पर किन्नर समाज ने इस देश के प्रति अपना दायित्व हमेशा निभाया है। तब

हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम उन्हें खुले दिल से सामान्य व्यक्ति की तरह स्वीकार करें एवं हमारा यह भी दायित्व बनता है कि हम अन्य लोगों की मानसिकता जो किन्नरों के प्रति बनी हुई है उसमें भी बदलाव लाने का प्रयत्न करें, क्योंकि उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, बल्कि सम्मान एवं समान दर्जे की आवश्यकता है।

Gupta Sakshi: ट्रांसजेन्डर व्यक्ति बिल 2014 का अवलोकन और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिसम्बर, 28, 2021

1. **The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016 :** Bill No. 210 & 2016
2. **डॉ. पुखराज जैन, डॉ. बी.एल.फडिया :** भारतीय शासन एवं राजनीति : अठारहवां संशोधित एवं अद्यतन संस्करण : 2011, साहित्य भवन पब्लिकेशन
3. **डॉ. ए.पी. अवस्थी :** भारतीय शासन एवं राजनीति संशोधित संस्करण 2015, 2016, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation